

प्रशासकीय आज अधिकारिक बाड़ी  
 एवं स्वयं के द्वारा प्रस्तुत जा. पत्र  
 दि. 1-8-2019 पर सिधे से नलक  
 की जाने पर देवा डी जा. पत्र के  
 बताया कि वादग्रस्त अधिकारिक  
 परिवर्तित व बाड़ी के मध्य आपसी  
 समझौता से रजि. नाम ही क्या  
 है और अब कोई विवाद हो  
 नहीं है। उस वाद पर भी 'आगे कोई  
 कार्य नहीं चाहता है। इसलिए  
 वाद पर भी निरस्त कर मांगी  
 केवल लोक न सिमागमा। अधिकारिक  
 बाड़ी द्वारा प्रस्तुत जा. पत्र स्वीकार  
 किया जाकर वाद पर भी कार्यवाही  
 नहीं चाहने से इवाचन सिमागमा है  
 डीकी जारी होकर प्रशासकीय कार्य  
 समाप्त हो।

**अधिकारी एवं**  
 सहायक कलेक्टर  
 बाहुर (पीतवाड़ा)

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाफ़ा दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा ( राज.)

बईजलास श्री महाधी 2 उद्याद कर्मिक RAS

श्री कैलाश 5/0 हजारी कीया बनामा श्री किशाना 5/0 गवदा कीया

- श्री किशाना गारासा तह-शाहपुरा
- वाडी
- 2-3- भैरु, राजु 5/0 किशाना कीया
  - 4-5- खोजी, मेका 5/0 फजोद कीया
  - 6- महादेव 5/0 मोलु कीया
  - 7-8- मोहन, गीषदा 5/0 फजोद कीया
  - 9-10- किशाना, प्रभु 5/0 नारायण कीया
  - 11- भादुराम 5/0 मोहन कीया -
  - 12- कलमण 5/0 रोम सु 29 कीया
  - 13- साब्या 5/0 मेका कीया
  - 14- कका 5/0 खोजी कीया
  - 15- रणना 5/0 अरु 5/0 कीया
  - 16- गोपाल 5/0 नारायण कीया
  - 17- गालुडन 5/0 शीका माली
  - 18- राजु 5/0 खोजी कीया
  - 19- राजु 5/0 मेका कीया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA

मुकदमा नम्बर 49 सन 18 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री

दी जाती हैं कि :- वाडी एवं उनके कर्मिक नामों द्वारा वाड प्रदा के कोई काम वादी नहीं वादने से खरीज किया जात है।

निज मुबलिग, वाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द  
चूलायी तक अदा करें।

सप्त मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 8 सन 19



[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)